बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

दिनांक–16/07/ 2025

सं॰सं॰–15/खा॰–48–02/2021–826(15)/स्वा॰ – भारत का संविधान के अनुच्छेद– 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, खाद्य संरक्षा सेवा (खाद्य संरक्षा संवर्ग) में नियुक्ति एवं अन्य सेवा–शर्तों के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। –**

   (1) यह नियमावली **"बिहार खाद्य संरक्षा सेवा (खाद्य संरक्षा संवर्ग) नियमावली, 2025"** कही जा सकेगी।

   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

   (3) यह गजट (राजपत्र) में प्रकाशन की तिथि प्रवृत होगी।

2. **परिभाषाएँ।** –जब तक विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में –

   (i)"**राज्य**" से अभिप्रेत है बिहार राज्य;

   (ii) "**सरकार**" से अभिप्रेत है बिहार सरकार;

   (iii)"**विभाग**" से अभिप्रेत है स्वास्थ्य विभाग;

   (iv) "**खाद्य संरक्षा आयुक्त कार्यालय**" से अभिप्रेत है स्वास्थ्य विभाग के अधीन खाद्य संरक्षा आयुक्त का कार्यालय;

   (iv) "**आयोग**" से अभिप्रेत है बिहार तकनीकी सेवा आयोग;

   (v)"**अधिनियम**" से अभिप्रेत है खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (केन्द्रीय अधिनियम 34, 2006) [समय–समय पर यथा–संशोधित],

   (vi)"**नियमावली**" से अभिप्रेत है खाद्य संरक्षा एवं मानक नियमावली, 2011 एवं (समय–समय पर यथा संशोधित);

   (vii) "**सेवा**" से अभिप्रेत है बिहार खाद्य संरक्षा सेवा;

   (viii)"**संवर्ग**" से अभिप्रेत है बिहार खाद्य संरक्षा संवर्ग ,

   (ix)"**केन्द्रीय परीक्षा समिति**" से अभिप्रेत है राजस्व पर्षद्, बिहार के अधीन केन्द्रीय परीक्षा समिति;

(x) **"नियुक्ति प्राधिकार"** से अभिप्रेत है खाद्य संरक्षा संवर्ग के मूल कोटि एवं प्रोन्नति के प्रथम पदसोपान के पद हेतु **"राज्य खाद्य संरक्षा आयुक्त"** एवं संवर्ग के अन्य उच्चतर कोटि के पदों के संदर्भ में **बिहार–राज्यपाल**;

(xi) **"नियंत्री प्राधिकार"** से अभिप्रेत है राज्य खाद्य संरक्षा आयुक्त;

(xii) **"राज्य खाद्य संरक्षा आयुक्त"** से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा–30 एव नियमावली के उप नियम–2.1.1 के उपबंधों के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सरकार के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव स्तर का कोई पदाधिकारी।

(xiii) **"परिशिष्ट"** से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न परिशिष्ट।

(xiv) **"नियत तिथि"** से अभिप्रेत है इस नियमावली के अधिसूचित होने की तिथि।

3. **संवर्ग की संरचना**–(1)बिहार खाद्य संरक्षा सेवा अंतर्गत खाद्य संरक्षा संवर्ग राज्य स्तरीय संवर्ग होगा। संवर्ग की संरचना निम्नवत् होगी –

क्रमांक	**पदनाम**	**कोटि**
1	**2**	**3**
1.	खाद्य संरक्षा अधिकारी (अराजपत्रित)	मूल कोटि
2.	सहायक अभिहित अधिकारी (अराजपत्रित)	प्रथम पद सोपान
3.	अभिहित अधिकारी (राजपत्रित)	द्वितीय पद सोपान
4.	उप खाद्य संरक्षा आयुक्त (राजपत्रित)	तृतीय पद सोपान

(2) उक्त संवर्ग की सभी कोटि के पदों का स्वीकृत बल तथा वेतनमान/वेतन स्तर वही होगा, जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित एवं स्वीकृत की जाय।

(3) नियत तिथि के पूर्व से नियुक्त/प्रोन्नत/कार्यरत पदाधिकारी इस संवर्ग के समकक्ष पद पर स्वतः सम्मलित समझें जायेंगे।

4. **भर्ती**। –(1) इस संवर्ग के मूल कोटि के पद पर नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा, आयोग की अनुशंसा से की जायेगी।

(2) सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता परिशिष्ट–01 के अनुसार होगी।

(3) सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम आयु वही होगी, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर, आरक्षण कोटिवार, निर्धारित की जाय। विज्ञापन वर्ष की 1ली अगस्त को, उम्र निर्धारणार्थ, कट ऑफ डेट माना जायेगा।

5. **भर्ती की प्रक्रिया।** –(1) नियंत्री प्राधिकार, वर्ष की 1ली अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्ति की गणना कर आरक्षण कोटिवार, अधियाचना आयोग को 30 अप्रैल तक भेजेगा।

(2) अधियाचना के आलोक में, आयोग रिक्तियों को विज्ञापित कर नियमानुसार योग्य अभ्यर्थियों का चयन करेगा तथा आरक्षण कोटिवार अनुशंसा विभाग को उपलब्ध कराएगा।

(3) लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के पत्र एवं पाठ्यक्रम/विषय वही होंगे, जैसा आयोग द्वारा विभाग के परामर्श से निर्धारित किया जाय।

(4) आयोग की अनुशंसा के उपरान्त नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्र/अनुदेश का अनुपालन आवश्यक होगा।

(5) परंतु, आयोग द्वारा चयनित/अनुशसित अभ्यर्थियों को अधिनियम/नियमावली मे खाद्य संरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हत्ता के कंडिका–(iii) एवं इस संबंध में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के आलोक में प्रशिक्षण प्रदान करने के पश्चात् हीं नियुक्त किया जायेगा। प्रशिक्षण की व्यवस्था भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के सहयोग से राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

(6) नियुक्ति से पूर्व अभ्यर्थियों को इस आशय का शपथ पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा कि उनका खाद्य की किसी वस्तु के विनिर्माण, आयात या बिक्री में कोई वित्तीय हित शामिल नहीं है।

6. **परिवीक्षा अवधि।** –नियुक्ति के उपरांत सभी खाद्य संरक्षा अधिकारी एक वर्ष तक परिवीक्षाधीन रहेंगे। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की दशा मे परिवीक्षा अवधि का विस्तार एक और वर्ष के लिए किया जायेगा। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, सेवामुक्त किया जा सकेगा।

7. **प्रशिक्षण।** –(1) परिवीक्षा अवधि के अधीन खाद्य संरक्षा अधिकारी को बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि नियमावली, 2024 (समय–समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानानुसार निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(2) इस संवर्ग में नियुक्त/कार्यरत पदाधिकारियों को अभिहित अधिकारी के पद पर प्रोन्नति के उपरांत प्रभार ग्रहण की तिथि से छः माह के अंदर कोषागार प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(3) साथ ही राज्य सरकार/राज्य खाद्य संरक्षा आयुक्त/भारतीय खाद्य संरक्षा एव मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय–समय पर आयोजित किए जाने वाले सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा।

8. **विभागीय परीक्षा।** –(1) खाद्य संरक्षा अधिकारी को केन्द्रीय परीक्षा समिति (राजस्व पर्षद्, बिहार) द्वारा आयोजित किये जाने वाले विहित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। विभागीय परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद्, बिहार, पटना द्वारा विभाग के परामर्श एवं सामान्य प्रशासन विभाग के अनुमोदन से किया जायेगा।

9. **संपुष्टि।** –परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक होने, निर्धारित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने एवं विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त होने के पश्चात् खाद्य संरक्षा अधिकारी की सेवा संपुष्ट किया जा सकेगा।

10. **वरीयता।** –संवर्ग के अंतर्गत नियुक्त/कार्यरत पदाधिकारियों की आपसी वरीयता का निर्धारण समय–समय पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत अद्यतन दिशा–निर्देश/परिपत्र के अनुसार किया जायेगा।

11. **प्रोन्नति।**– (1) सेवा में संपुष्ट खाद्य संरक्षा अधिकारी को रिक्ति की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, योग्यता –सह– वरीयता के अनुसार प्रोन्नति के पद सोपान के पदो पर प्रोन्नति दिये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(2) प्रोन्नति के लिए राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर, निर्गत कालावधि संबधी अनुदेश का अनुपालन आवश्यक होगा।

(3) सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत, प्रोन्नति संबंधी चारित्री या पी०ए०आर०, आरोप, विभागीय कार्यवाही/आपराधिक कार्यवाही आदि संबंधी अनुदेशों का, प्रोन्नति पर विचार के समय अनुपालन करना आवश्यक होगा।

(4) प्रोन्नतियाँ, विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर विचारणीय होंगी। विभागीय प्रोन्नति समिति का स्वरूप वही होगा जो राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर, सेवा विभागों के लिए निर्धारित किया जाय।

12. **प्रशासनिक नियंत्रण।**–इस संवर्ग के सभी पदाधिकारी राज्य खाद्य संरक्षा आयुक्त के समग्र प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे। क्षेत्र पदस्थापन में, अभिहित अधिकारी सबंधित जिला के जिला अधिकारी/समाहर्त्ता के समग्र निगरानी/पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे।

13. **आरक्षण।** – राज्य सरकार के आरक्षण अधिनियम और सरकार द्वारा समय–समय पर सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति हेतु निर्गत आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

14. **अवशिष्ट मामलें।**– इस नियमावली में जिन विषयों का प्रावधान नहीं हो सका है, उसके लिए राज्य सरकार की प्रासंगिक संहिताएँ/नियमावली/अधिसूचना/संकल्प/अनुदेश/परिपत्र के प्रावधान लागू होंगे।

15. **निर्वचन।**– यदि इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन में कोई सशय हो तो विभाग द्वारा, विधि विभाग/सामान्य प्रशासन के परामर्श से, किया गया विनिश्चय अंतिम होगा।

16. **कठिनाई का निराकरण।** –यदि इस नियमावली के उपबंधों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो विभागऐसी कठिनाई का निराकरण विधि विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श से, सामान्य या विशेष ओदश द्वारा, जो इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो, ऐसी किसी कठिनाई का निराकरण कर सकेगा।

17. **निरसन एवं व्यावृति** :–(1) इस संवर्ग नियमावली के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व से अधिसूचित बिहार खाद्य संरक्षा सेवा नियमावली, 2014 एवं समय–समय पर यथा संशोधित नियमावली, 2019 एवं 2021, संकल्प, अनुदेश, आदेश आदि इस नियमावली के प्रवृत होने की तिथि के प्रभाव से एत्द द्वारा निरसित किए जाते हैं।

(2) ऐसा निरसन के होते हुए भी, वैसी नियमावली, संकल्प, अनुदेश, अधिसूचना, आदेश, आदि के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा या इसके अधीन किया गया या की गयी समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत थी जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य किया गया था या ऐसी कोई कार्रवाई की गयी थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(लोकेश कुमार सिंह)
सरकार के सचिव। 15/7/25

ज्ञापांक – 15/खा०–48–02/2021/स्वा०, 426(15) **पटना, दिनांक** – 16/07/2025

प्रतिलिपि :– वित्त विभाग (ई–गजट प्रशाखा) बिहार, पटना को बिहार राजपत्र (गजट) के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।
15/7/25

ज्ञापांक – 15 / खा०–48–02 / 2021 / स्वा०, 826(15) पटना, दिनांक – 16 / 07 / 2025

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना / सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना / सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक – 15 / खा०–48–02 / 2021 / स्वा०, 826(15) पटना, दिनांक – 16 / 07 / 2025

प्रतिलिपि :– अवर सचिव / प्रभारी पदाधिकारी, बिहार विधान सभा, सचिवालय को सदन के पटल पर रखे जाने हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक – 15 / खा०–48–02 / 2021 / स्वा०, 826(15) पटना, दिनांक – 16 / 07 / 2025

प्रतिलिपि :– अवर सचिव / प्रभारी पदाधिकारी, बिहार विधान परिषद, सचिवालय को सदन के पटल पर रखे जाने हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक – 15 / खा०–48–02 / 2021 / स्वा०, 826(15) पटना, दिनांक – 16 / 07 / 2025

प्रतिलिपि:– प्रभारी पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग / संसदीय कार्य विभाग / मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

परिशिष्ट—1

[देंखे नियम 2(xiii), 3,4,11]

खाद्य संरक्षा संवर्ग का पद सोपान एवं शैक्षणिक अर्हताएँ, आदि।

क्रमाक	कोटि	पदनाम	सीधी भर्ती या प्रोन्नति द्वारा	अर्हता
1	2	3	4	5
1	मूल कोटि	खाद्य सरक्षा अधिकारी (अराजपत्रित)	सीधी भर्ती द्वारा	**(1)** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी या डेयरी प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या कृषि विज्ञान या पशु चिकित्सा विज्ञान या जैव–रसायन विज्ञान या सूक्ष्म विज्ञान या रसायन विज्ञान या मेडिसिन मे **स्नातक** या **मास्टर** या **डॉक्टरेट** डिग्री , **या** **(2)** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा सस्थान से निम्नलिखित अध्ययन के विषयो मे स्नातक या स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट की उपाधि – **"खाद्य तकनीक" अध्ययन के विषय –** (1) खाद्य इजिनियरिंग (2) खाद्य इजिनियरिंग एव तकनीक (3) खाद्य प्रसस्करण एव सरक्षण (4) खाद्य प्रसस्करण तकनीक (5) खाद्य तकनीक एव प्रबधन (6) खाद्य जैव प्रौद्योगिकी (7) खाद्य सयत्र सचालन प्रबधन (8) खाद्य प्रक्रिया इजीनियरिंग एव प्रबधन (9) खाद्य प्रसस्करण (10) खाद्य सरक्षा और गुणवत्ता प्रबधन (11) प्रक्रिया एव खाद्य इजीनियरिंग **" कृषि विज्ञान " अध्ययन के विषय –** (1) कृषि (2) कृषि इजीनियरिंग (3) जैव प्रौद्योगिकी (4) डेयरी तकनीकी (5) मत्स्यपालन (6) खाद्य तकनीक (7) खाद्य पोषण एव आहार – विद्या (8) होर्टिकल्चर **या** **(3)** बैचलर ऑफ मेडिसिन एड बैचलर ऑफ सर्जरी **या** बैचलर ऑफ डेटल सर्जरी **या** बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एड सर्जरी **या** बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एड सर्जरी **या** बैचलर ऑफ सिद्ध मेडिसिन एड सर्जरी **या** बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एड सर्जरी **या** बैचलर ऑफ सोवा रिग्पा मेडिसिन एड सर्जरी। **(4)** केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारतीय खाद्य सरक्षा एव मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा खाद्य सरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु समय–समय पर अधिसूचित मान्यता प्राप्त अन्य पाठ्यक्रम एव अर्हताएँ।
2	प्रथम पद सोपान	सहायक अभिहित अधिकारी (अराजपत्रित)	प्रोन्नति द्वारा	
3	द्वितीय पद सोपान	अभिहित अधिकारी (राजपत्रित)	प्रोन्नति द्वारा	अभिहित अधिकारी, एक पूर्णकालिक अधिकारी होगा, जो उपखड अधिकारी या समतुल्य की पक्ति से नीचे की पक्ति का अधिकारी नही होगा और उसके पास इन नियमो के अधीन खाद्य सरक्षा अधिकारी के लिए विहित शैक्षिक अर्हताओ मे कम से कम एक शैक्षिक अर्हता या एक विषय के रुप मे रसायन शास्त्र के साथ विज्ञान मे कम से कम स्नातक या स्नातकोत्तर या डाक्टरेट की उपाधि होगी या

				जिसके पास खाद्य सरक्षा अधिकारी के रुप मे कम से कम पॉच वर्ष का अनुभव होगा या जिसके पास खाद्य सरक्षा अधिकारी और खाद्य निरीक्षक के रुप मे कम से कम सात वर्ष का सयुक्त अनुभव होगा, जिसमे से खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के प्रारभ के पश्चात् खाद्य सरक्षा अधिकारी के रुप मे न्यूनतम चार वर्ष का अनुभव होगा , परतु खाद्य सुरक्षा आयुक्त, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, उस क्षेत्र के उपखड अधिकारी को, उतनी अवधि के लिए, जो खाद्य प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अभिहित अधिकारी के रुप मे अतिरिक्त प्रभार प्रदत्त कर सकेगा, परतु यह और कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी केद्रीय सरकार के किसी अधिकारी को राज्य सरकार या सघ राज्यक्षेत्र सरकार की अधिकारिता के बाहर क्षेत्र के लिए अभिहित अधिकारी के रुप मे अतिरिक्त प्रभार दे सकेगी।
4	तृतीय पद सोपान	उप खाद्य सरक्षा आयुक्त (राजपत्रित)	प्रोन्नति द्वारा	